न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारीलाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 94/2017

सरकार बनाम सहीराम पुत्र पूरणराम, जाति–खाती, निवासी– छापड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.08.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र संजय कुमार उपस्थितं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सहीराम पुत्र पूरणराम, जाति–खाती, निवासी– छापड़ा द्वारा रोही मौजा सरदारपुरा की भूमि ख.नं. 58 के कुल रकबा 0.87 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर बाड़ तार लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र संजय कुमार ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया कि अपने खेत में फसल का पशुओं से बचाव करने लिए तार बाड़ कर रखी है। मौके पर रास्ता चालू है। इसके अलावा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 12 पर वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम किए (2074) राजस्व लेखाकार

(हस्ताक्षर) 2-8-17
(बनवारीलाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़